रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2006/ज्येष्ठ 25, 1928
No. 628] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2006/JYAISTHA 25, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

का.आ. 915(अ).– कतिपय विनिर्दिष्ट फसलों पर उपयोग के लिए कतिपय 'रजिस्ट्रीकृत नाशकजीवमार वाला समझा गया' के संबंध में दावा करने के लेबल को हटाने और कतिपय अन्य 'नाशकजीवमार वाला समझा गया' को वापिस लेने की दृष्टि से एक प्रारूप आदेश, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1747 (अ) तारीख 12 दिसंबर, 2005 के अधीन जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 12 दिसंबर, 2005 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा देने के, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 12 दिसंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त आदेश के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जा चुका है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञों के कोर समूह की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात और रजिस्ट्रीकरण समिति के परामर्श के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि नीचे प्रगणित रजिस्ट्रीकृत समझे गए नाशकजीवमारों के और उपयोग से मनुष्यों और पशुओं को ऐसी जोखिम कारित किए जाने की संभावना है जो उनकी सुरक्षा, नाशकजीवमार उद्योग से चाहे गए आंकड़ों से पूर्णतः स्थापित नहीं हो सका है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

आदेश

(क) आदेश के प्रकाशन की तारीख से, प्रत्येक कीटनाशी के विरुद्ध वर्णित की गई फसलों के लिए निम्नलिखित कीटनाशियों के दावा करने के लेबल को अनुमोदित उपयोग से हटा दिया जाएगा :--

फसलों की सूची अनुमोदित उपयोगों से हटाया जाना :

क्रम संख्या	कीटनाशी का नाम	फसलों का नाम
1.	ऐल्फा नैपथाईल ऐसिटिक एसिड	मटर तरबूज
2.	एट्राजीन	आलू, बाजरा
3.	एलाक्लोर	गन्ना, सेम, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, प्याज, टमाटर और मिर्च
4.	कारबराईल	अरंड (कैस्टर), बेर, तंबाकू, कॉफी, और सिंघाड़ा
5.	कैप्टान	कॉफी, तंबाकू, मूंगफली, मक्का
6.	क्लोरमेक्वाट क्लोराइड	बेर
7.	कार्बोफ्यूरान	तंबाकू
8.	डायाजिनोन	सोयाबीन, आम, चाय
9.	डायमीथोएट	सुपारी, पान की बेल, लूसर्न, हल्दी
10.	डाइकोफोल	मूंगफली, मक्का, जीरा, धनिया, सुपारी, नारियल, गन्ना
11.	डाइनोकैप	गेहूँ, कद्दूवर्गीय
12.	डाइयूरोन	चाय, कॉफी, चीकू
13.	एन्डोसल्फान	गन्ना, तंबाकू, काजू, कोको
14.	एथिफोन	खीरा, मूंगफली
15.	फेनथीआन	कपास, लोबिया, मूंगफली, कॉफी, हल्दी
16.	फेनिट्रोथियन	कपास, मूंगफली, एरंड, सरसों, तोरिया, गन्ना, कॉफी, तंबाकू
17.	लिन्डेन	ज्वार, काजू, कॉफी, अखरोट, इलायची, मक्का
18.	एम.सी.पी.ए.	गन्ना
19.	मेलाथिआन	अरहर, गन्ना, बरसीम, लूसर्न, संजी
20.	मैंनकोजेब	सेम, नारियल, खरबूजा, लौकी, करेला, सूरजमुखी, अखरोट
21.	मैथिल पैराथिआन	फरासबीन, केस्टर, कॉफी
22.	आक्सीडामेटोन मैथिल	मूंगफली, तिल, भिंडी, बैंगन, प्याज, आलू, टमाटर, सेब, केला, आड़ू, आलूबुखारा, कॉफी, तंबाकू
23.	फोरेट	कॉफी
24.	पैराक्वेट डाइक्लोराइड	पोदीना, कसावा
25.	प्रोपनील	चावल, आलू
26.	पाइरीथ्रम	कपास
27.	क्विनलफोस	कद्दूवर्गीय, नारियल, तंबाकू
28.	ट्राईक्लोरफोन	अरहर, चना, कॉफी, तंबाकू
29.	थायोमीटान	कॉफी, गन्ना, कपास, एरंड, मूंगफली, सरसों, कुसुम, तंबाकू, लोबिया
30.	जिराम	सेम
31.	जिनेंब	अफीम, सेम,

(ख) नीचे प्रगणित कीटनाशियों/उत्पादनों को आदेश के प्रकाशन की तारीख् से वापिस होना :

हटाए जाने वाले कीटनाशियों/उत्पादनों की सूची :

क्रम संख्या	कीटनाशी का नाम
1.	डैलापोन
2.	फेरबाम
3.	फोरमोथीआन
4.	निकल क्लोराइड
5.	पैरा-डाइक्लोरोकबेनजीन
6.	सीमाजीन
7.	वारफरिन

(ग) सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऊपरवर्णित की गई नाशकजीवमार के संबंध में लेबल/लिफलेट्स के साथ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों, जो अनुदत्त किए गए हैं, सचिव, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति, एन.एच.IV , फरीदाबाद, को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनको रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र लौटाना चाहिए, जिसके न हो सकने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहण करने की कार्रवाई आरंभ की जाएगी ।

(घ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन या संशोधन इस आदेश के उपबंध के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर प्रवर्तित होने के रूप में अनुज्ञा या अनुमोदन नहीं लिया जाएगा ।

(ङ) सम्यक् तारीख तक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रद्द समझे जाएंगे ।

(च) प्रत्येक राज्य सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे उपाय, जैसे उस राज्य में इस आदेश के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे, करेगी ।

(छ) इस आदेश के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए, यथास्थिति, हटाए जाने और/या प्रत्याहरण करना, जैसे ही मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार कीटनाशी(यों) के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण आँकड़े उपलब्ध किए जाते हैं, अप्रवर्तनीय हो जाएंगे और सरकार को कीटनाशी उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा स्वीकार किए जाएंगे ।

[फा. सं. 17-4/1996-पीपी 1 (वोल्यूम 3-सी)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव